

कृषि उपच मण्डी समिति कर्ना के लेखालों का अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2010 से 3/2012

१ पूर्व अंकेशण प्रतिवेदन:-

पूर्व अंकेशण प्रतिवेदनों के अनियंत्रित पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकनोपशम्न पैरों को नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(क) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/95

१	पैरा-८	आनियंत्रित
(ख) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/98		

१	पैरा-१४	आनियंत्रित
(ग) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/99		

१	पैरा-१७	आनियंत्रित
(घ) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2001		

१ पैरा-८ आनियंत्रित

२ पैरा-९ नियंत्रित ($₹13,600/-$ -रसीद सं 323/42 दिनाक 14/3/12
द्वारा जमा करवाए गए)

३ पैरा-१० नियंत्रित विपणन बोर्ड के पत्र संख्या: एच:एम:वी
१३४/८४-३६४५ दिनाक 30.9.2000 तथा 3032 दिनाक
27.6.2001 द्वारा प्रकाश स्वीकृति का सत्यापन कर लिया
गया)

४ पैरा-१७ अनियंत्रित

५ पैरा-१८ आनियंत्रित

६ पैरा-१९ आनियंत्रित

(ङ) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2002

१	पैरा-१० आनियंत्रित	
२	पैरा-१० आनियंत्रित	

3	पैश-11	अनिर्णीत
4	पैश-12	अनिर्णीत
5	पैश-13	अनिर्णीत
6	पैश-16	अनिर्णीत
7	पैश-23	निर्णीत (कोर्ट केस वारे नवीनतम रिथिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012 में दर्शा दी गई है)

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैश-5	अंशतः निर्णीत	(ग्रैड हिमगिरी फुट कपनी के "J" फार्म की पूष्टि कर ली गई शेष वारे कार्रवाई अपोक्षित है)
2	पैश-7	अनिर्णीत	
3	पैश-8	निर्णीत	(कम संख्या 10 पर दर्शाए गई फर्म ऐ0 नरेश चन्द सपुत्र श्री किशन दास के ऐ0 एल0 आर0 का पुनः निर्वास्त्र चेकरमैन मण्डी समिति ऊना द्वारा दिनांक 22.9.2010 को किया गया जिसके अनुसार उक्त अवधि में कर्त्ते की दर ₹17000 प्रति विष्टल थी। इस अवधि में बन विभाग के परिमेट के अनुसार फर्म में 338 विष्टल कर्त्ता पैदा किया गया था जिस पश उक्त दर से बनी कुल रक्षि पर देय 1% मण्डी शुल्क की ₹57480— बनती थी तथा इस पर 85% की दर से दण्ड ₹37,349.00 बनती थी। कुल ₹95,000 की वसूली कर ली गई तथा इस के अतिरिक्त शेष फर्म से वसूली की गी पुरेट कर ली गई।)
4	पैश-10	निर्णीत	(नवीनतम रिथिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 में दर्शा दी गई है)
5	पैश-11	अनिर्णीत	
6	पैश-17	अनिर्णीत	
8	पैश-18	अनिर्णीत	

(ळ) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2006

- | | | |
|----|---------|----------|
| 1. | पैरा-6 | अनिर्णीत |
| 2 | पैरा-7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-18 | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-18 | अनिर्णीत |
| 5 | पैरा-19 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा-21 | अनिर्णीत |

(प्रतिशूलि ₹250-00 रसीद संख्या 93/43

दिनांक 3-5-12 द्वारा प्राप्त कर ली गई)

(ज) अंकेशण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

- | | | |
|----|-------------|--|
| 1 | पैरा-8 | निर्णीत (बजट अनुमोदन/स्वीकृते पत्र क्रमांक एच० एम० वी०
बजट-8096 दिनांक 18.6.2007 व 2315 दिनांक
—द्वारा प्राप्त कर ली गई) |
| 2 | पैरा-7 | अनिर्णीत |
| 3 | पैरा-8 (2) | अनिर्णीत |
| 4 | पैरा-9 | निर्णीत (उपयोगिता प्रमाण पत्र संख्या 7610 तथा 9152
दिनांक 3.8.08 व 6.12.08 ₹32,42,400 व ₹91,00000
का सत्यायने कर लिया) |
| 5 | पैरा-12 | अनिर्णीत |
| 6 | पैरा-19 | अनिर्णीत |
| 7 | पैरा-20 | अनिर्णीत |
| 8 | पैरा-21 | अनिर्णीत |
| 9 | पैरा-22 | अनिर्णीत |
| 10 | पैरा-23 | अनिर्णीत |
| 11 | पैरा-24 (2) | निर्णीत (रसीद संख्या 84/4 दिनांक 29.9.2009 द्वारा ₹12,203
की रकम की मुद्रित कर ली गई है) |
| 12 | पैरा-25 | निर्णीत (कम द्वारा अवधि 1.3.08 से 30.9.07 तक देय भण्डी |

शुल्क का मुत्यांकन आदेश संख्या 11/६ दिनांक 10.1.12 द्वारा किया गया तथा आदेशानुसार मण्डी शुल्क जो कि उक्त अवधि से सम्बंधित था वसूल कर लिया गया)

- | | | |
|----|---------|----------|
| 13 | पैरा-27 | अनिर्णीत |
| 14 | पैरा-28 | अनिर्णीत |
| 15 | पैरा-30 | अनिर्णीत |
| 16 | पैरा-32 | अनिर्णीत |

(अ) अकेशन एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2010

- | | | | |
|---|---------------|----------|--|
| 1 | पैरा-5 (क)(ख) | निर्णीत | (वालचर संख्या 76 दिनांक 30.6.11 द्वारा 10,000 का समायोजन किया गया) |
| 2 | पैरा-6 | निर्णीत | (सक्षम अधिकारी द्वारा बजट का अनुमोदन कर दिया गया) |
| 3 | पैरा-7 (क) | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अकेशन प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 मे दर्शा दी गई) |
| 4 | पैरा-7 (ख) | अनिर्णीत | |
| 5 | पैरा-8 | अनिर्णीत | |
| 6 | पैरा-9 | निर्णीत | (नवीनतम स्थिति वर्तमान अकेशन प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 मे दर्शा दी गई) |
| 7 | पैरा-10 | निर्णीत | (मण्डी समिति ऊना की दिनांक 20/8/11 को हुई बैठक की मद संख्या 12 (ख) द्वारा अनुमोदन कर लिया गया) |
| 8 | पैरा-11 | निर्णीत | (उपर्योगिता प्रमाणप्रत्रों का सत्यापन कर लिया गया) |

९ पैरा-१२	निर्णीत	(विभिन्न फर्म से प्रतिशूलि राशि की वसूली रसीद संख्या २२४/१८, २२७/०९, १९४/४७, २२४/१३, २२४/११, २१५/४७, २१५/३४, २१५/०६, २२०/२५, २१५/०३, १९४/४१ दिनाक १३.०६.११, ११.७.११, १३.०६.११, १३.०६.११, २३.०६.११, २३.०६.११, २.६.११, २.६.११, २.५.११ व ९.५.११ छार कर ली गई जिनका सत्यापन कर लिया गया)
१० पैरा-१३(i)व(ii)	अनिर्णीत	
११ पैरा-१४(i)व(ii)	आनिर्णीत	
१२ पैरा-१५	निर्णीत	(सटीप्पण उत्तरानुसार निर्णीत)
१३ पैरा-१६	अनिर्णीत	
१४ पैरा-१७	निर्णीत	(अपेक्षित अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया)
१५ पैरा-१८	निर्णीत	(वसूली रसीद संख्या ९३/३६ व ९३/३७ दिनाक २३.११.११ छार कर ली गई)
१६ पैरा-१९	निर्णीत	(वसूली चैक संख्या १८ दिनाक २७.७.१० छार करके राशि सम्बन्धित विभाग मे जमा करवाई गई)
१७ पैरा-२०	अनिर्णीत	
१८ पैरा-२१	निर्णीत	(नवीनम स्थिति वर्तमान अकोहण प्रतिवेदन मे दर्शा दी गई)
१९ पैरा-२२	निर्णीत	(सभी लाइसेंसो तक नवीकरण हो गया हैं)
२० पैरा-२३	निर्णीत	(नवीकरण वारे कारबाई का सत्यापन कर लिया गया)
२१ पैरा-२४	अनिर्णीत	
२२ पैरा-२५	निर्णीत	(₹111.00 की वसूली रसीद संख्या २१५/२३, २३१/२७, २३१/२८ दिनाक ६.०५.११, २८.४.११ छार कर ली गई)

23 पैरा-26	निर्णीत	(वांछित अभिलेख का सत्यापन कर लिया गया)
24 पैरा-27	निर्णीत	(वांछित निलाभीकर्ता के हस्ताक्षर हेतु पुष्टि कर ली गई)
25 पैरा-28	अनिर्णीत	
26 पैरा-29	अनिर्णीत	
27 पैरा-30	निर्णीत	(प्रथम कापी किसान को जारी की जाती है)
28 पैरा-31	अनिर्णीत	
29 पैरा-32	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेशण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 मे दर्शा दी गई)
30 पैरा-33	अनिर्णीत	
31 पैरा-34	अनिर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेशण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12 मे दर्शा दी गई)

भाग दो

2 वर्तमान अंकेशण

कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के सेवाओं अवधि 4/2010 से 30/2012 का अंकेशण जिसके परिणाम अवलोकन प्रतीक्षा में दिए गए हैं श्री जितेन्द्र सिंह अनुमान अधिकारी व श्री संजीव बहुमार अवलोकन प्रतीक्षा में लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.3.2012 से 5.5.2012 के दौरान ऊना मे किया गया। विस्तृत जाँच पद्धताल हेतु आय के लिये मास 11/10, 1/11, 12/11 व 2/12 तथा व्यय के लिये मास 10/10, 3/11, 11/11 व 3/12 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any information or non-information on the part of auditee."

अंकेशण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान मण्डी समिति ऊना के आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियन्त्रण अधिकारी निम्नानुसार थे:-

क्रम संख्या	नियन्त्रण एवं आहरण वितरण	कार्य मास अवधि
अधिकारी का नाम		
1	श्री सुशील कुमार गुलेरिया	1.4.10 से 31.3.12

3. अंकेशण शुल्कः-

अंकेशण अवधि 4/10 से 3/12 के लेखाओं के अंकेशण हेतु अंकेशण शुल्क ₹101,518/- आंका गया जिसे निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिंदूप्रगति को रेखाक्रित ब्राफट द्वारा भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी के घर संख्या 5/8/2012 दिनाक 2/4/2012 द्वारा संविध कृषि उपज मण्डी समिति ऊना से अनुरोध किया गया। संविध द्वारा अंकेशण शुल्क की ₹1,01,518.00 को एक्सेस बैंक के ब्राफट संख्या 174211202 दिनाक 1/5/2012 द्वारा निजबा दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

संस्था द्वारा प्रस्तुत में विपणन समिति ऊना की अंकेशणझील अवधि की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी:-

	2010-11	2011-12
प्रारंभिक शेष	57,89,316-03	62,00,738-03
आय	98,89,782-00	1,35,07,906-00
वीच	1,56,79,098-03	1,97,08,644-03
ब्यय	94,78,360-00	1,08,25,307-00
शेष	62,00,738-00	88,83,337-00

दिनांक 31.3.2010 को अन्तिम शेष का विवरण:-

(क)	वचत स्थातों में जमा राशि (परिशेष्ट "क" के अनुसार)	29,82,904.03
(ख)	साधारिक जमा योजना में निवेशित राशि (परिशेष्ट "ख" के अनुसार)	56,59,774.00
(ग)	हस्तगत राशि कुल योग	2,12,667.00 88,55,345.03
	अन्तर	27,992.00

अन्तर के कारण:-

दिनांक 31/3/2012 को रोकड़वही के अन्त शेष तथा पास्तविक शेष के अनुसार उपरोक्त ₹27992 का अन्तर बैंक व्यवहार (Banking transaction) के कारण पाया गया जिसे परिशेष्ट (ग) पर बैंक समाधान विवरण में दर्शाया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर का मिलान करके अनुपालन से इस क्रियाग को अवगत करदाया जाए।

5 आय-व्यय विवरण:-

वृंदे उपज मण्डी समिति ऊना का गत तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण परिशेष्ट "घ" में संलग्न है। आय-व्यय की मर्दों के बारे में विस्तृत विवरण परिशेष्ट "घ-1" पर संलग्न किया गया है।

6 अग्रिम राशियाँ :-

- (क) कृषि उपज मण्डी समिति ऊना द्वारा अक्षेत्रण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान अपने आधेकारियों/कर्मचारियों को मुगतान की गई अग्रिम राशियाँ समायोजन हेतु शून्य थीं।
- (ख) मण्डी समिति ऊना द्वारा निम्नानुभार अक्षेत्रण अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान हिंदू चाज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास कार्पोरेशन शिमला को कम्प्यूटर के ल्रय हेतु ₹37,900/- अग्रिम में रूप में जारी की गई थीं जिसे अक्षेत्रण अवधि तक समायोजित नहीं किया गया। अतः समायोजन लेखे प्रस्तुत करके अनुपालन आगामी अक्षेत्रण में सात्यापनार्थ प्रस्तुत करें।

7 बकाया किराए की ₹21,336.00 की वसूली न करना:-

मण्डी समिति के किराया रजिस्टर की जॉब करने पर पाया गया कि निम्न विवरणनुसार विभिन्न विभागों/स्टालों से किराए की ₹21336/-वसूली हेतु लम्बित है, जिसकी वसूली नियमानुसार करके अनुपालना आगामी अकेशण में दिखाई जाए :-

क्रमांक	विभाग/स्टाल का नाम	दुकान संख्या	लागत किराया (दिनांक 31.3.12)
1	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	3	7000
2	उप निदेशक कृषि विभाग ऊना	कूथ सं 5-6	3600
3	राजेश टी स्टाल		400
4	तहसीलदार चुनाव ऊना	कार्यालय	10336
		वोट	₹21,336.00

8 कृषि उपज मण्डी समिति ऊना छारा जमा/निषेप कार्य करवाने हेतु अदा की गई ₹40,44,878/- के संपर्योगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना:-

मण्डी समिति ऊना छारा विभिन्न जमा/निषेप कार्य करवाने हेतु बोर्ड के पास अवधि 4/10 से 3/12 के दौरान विवरणानुसार 40,44,878/-जमा करवाई गई है, परन्तु मण्डी समिति ऊना छारा जमा/निषेप कार्य करवाने के एकज में भुगतान की गई राशि के संपर्योगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः आपेक्षित उपर्योगिता प्रमाण पत्र अव प्राप्त करके अनुपालना आगामी अकेशण में दिखाई जाए।

क्रमांक	उद्देश्य	राशि मेजने की तिथि	राशि (₹)
1	रिप्रेयर आफ वाऊण्डरी बाल	1-5-10	3,82,458
2	व्हाइट वाशिंग एवं पेन्टिंग	24-3-11	1,65,700

	कप बोर्ड इन आफिस विलिंग	24-3-11	44,400
4	टाइल फलोरिंग इन आफिस हॉल	24-3-11	51,300
5	रिपेयर आफ पाट होल्स एंड ट्रेनिंग इन यार्ड	24-3-11	5,30,600
6	कन्सट्रक्शन आफ 4न: शापस	28-11-11 त	16,73,700
		21-3-12	
7	कन्सट्रक्शन आफ चैक घोस्ट	28-11-11	1,22,500
8	कन्सट्रक्शन आफ प्लेट फोरम/हाल विट वाटर टैक फोर पोउल फिशरमैन	15-2-12	1,59,150
		15-2-12	6220
10	डिस्पैन्टलिंग एंड रिलेयंशन आफ डैमेज आर्क्सीसीसीस्लैब	21-3-12	3,21,150
11	कन्सट्रक्शन आफ सैपिटक टैक	21-3-12	94,900
12	पी/एफ रोलेग शट्रर	21-3-12	11,200
13	पी/एफ कोलेप्सीवल गेट	21-3-12	33,850
14	रेनोवेशन आफ सूट नो 1	21-3-12	81,800
15	कन्सट्रक्शन आफ ट्रैफीजोड्डल भ्रेन	21-3-12	3,65,900
	कुल योग		₹40,44,678

९ कृषि उपज मण्डी समिति ऊना के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानदारों, फर्मों, विभागों एवं संस्थाओं से मार्कीट फीस की वसूली हेतु रिटर्न प्राप्त न करने वाले—

मण्डी समिति ऊना के अंकेक्षण अवधिये 4/10 से 3/12 के दौशन सचिव कृषि उपज मण्डी
अनुसार मुख्य समिति और उपज मण्डी को लिए प्रतिस्थित (3) पर दर्शाया गया है) के
अनुसार मुख्य समिति और उपज मण्डी को लिए लिए अनुसार मुख्य समिति के विभिन्न तुकानदारों फर्मों
दिलायाँ एवं संस्थाओं से दर्पित अवधि की मार्कोट फीस के वसूली नहीं की गई थी और न ही
अंकेक्षण समाप्ति तक की इस अवधि को रिटर्न समिति में दाखिल की गई थी जबकि हिप्रो कृषि
औद्योगिकीय उत्पाद विपणन सामग्र्य नियम 2008 के नियम 30 (4) के अनुसार रिटर्न जमा करना
अनिवार्य है । अतः उक्त नियम के अन्तर्गत फर्मों से रिटर्न प्राप्त न करने का औचित्य स्वष्टि किया
जाना अनिवार्य है उपज मण्डी प्रबन्ध निदेशक हिप्रो कृषि विधान बोर्ड के द्वान में
उपज मण्डी प्रबन्ध निदेशक है ।

10 लाईसेन्स का नवीनीकण बाएँ—

मप्डी समिति ऊना हारा निम्नानुसार विभिन्न लाईसेन्स धारको को लाईसेन्स जारी किए थे परन्तु लाईसेन्स रजेस्टर कि जोख करने पर पाया गया कि अंकेशाणांदीन अवधि के दौरान इन लाईसेन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था। अतः इस बारे हिं0प्र० कृपि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन आधारण निम्न 2008 के नियम 21(1) व (12) के अनुसार कार्रवाई की जानी सुनिश्चित कि जाए।

क्र०प्र० लाईसेन्स धारक का नाम	जिस वर्ष हेतु लाईसेन्स नवीनी करण बाजित था
1 डोगरा ट्रेडिंग कम्पनी ऊना	2011-12
2 त्रिवेणी फूट ग्रोसरीजस ऊना	2011-12
3 पुरी ट्रेडिंग अरविंद मार्ग ऊना	2011-12
4 मेहता टिम्बर अम्ब	2011-12
5 दृष्टि इन्टरनार्डिज गगरेट	2011-12
6 रमजान मोहम्मद गगरेट	2011-12
7 अंकुर मल्होत्रा वेरका भिल्क एजेन्सी मंजाल	2011-12
8 मै० पंजाब अट्का बीट शाप	2011-12
9 जय शकर फूट कम्पनी टाङ्गलीबाल	2011-12
10 कृष वड्डाला	2011-12
11 जोगिन्द्र सिंह सपुत्र श्री जुगल किंशोर राथपुर सहोडा	2011-12
12 नन्दलाल सपुत्र श्री हंस राज सन्तोषगढ़	2011-12
13 मै० पंजाब मट्का बीट शाप	2011-12

- 11 श्री कुलदीप कुमार मार्केट सुपरवाइजर को गलत वेतन नियरिण के कारण ₹8083/- का अधिक भुगतान:-

श्री कुलदीप कुमार की पदोन्नति निलाभी कर्ता से मार्केट सुपर वाईजर पत्र संख्या: एच0 एम0 पी0 (13 4- 1/97-(97)-(1)-10868 दिनांक 24-12-2009 द्वारा की गई)। उनकी पदोन्नति तदर्थ (Adhoc) आधार पर की गई थी तथा उन्होंने इस पद पर दिनांक 14-1-2009 को कार्यग्रहण किया और उन्हे दिनांक 4-1-2009 को कार्यग्रहण/पदोन्नति के फलस्वरूप एक वेतन बृद्धि प्रदान की गई जो निम्नानुसार थी:-

निलाभी कर्ता के पद पर वेतन

पी०वी +जी०पी=कुल

16370+3800 =19970

मार्केट सुपरवाइजर के पद पर दिनांक 14-1-2009

से वेतन पी०वी +जी०पी =कुल

16970+3800 =20770

तदोपरान्त निदेशक विषयन बोर्ड के आदेश संख्या एच एम पी/7-2/98-11-9208 दिनांक 26-8-2011 द्वारा उनकी पदोन्नति तदर्थ आधार से नियमित कर दी गई तथा श्री कुलदीप कुमार ने पदोन्नति नियमित होने के फलस्वरूप उपनी पदोन्नति की वेतन बृद्धि मार्केट सुपरवाइजर के पद पर वार्षिक वेतन बृद्धि (जो कि निलाभी कर्ता के पद पर प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्राप्त कर रहे थे) को लेने के पश्चात माह 7/2009 से अपना वेतन नियरिण करने का आग्रह किया तथा माह 1-7-2009 से निलाभीकर्ता के पद पर वार्षिक वेतन बृद्धि प्रदान करने के पश्चात उनके विकल्प के दृष्टिगत मार्केट सुपरवाइजर के पद पर उनका वेतन निम्नानुसार नियासित किया गया:-

निलाभी कर्ता के पद पर वेतन

पी०वी +जी०पी=कुल

16,370+3800 19970

मार्केट सुपरवाइजर के पद पर दिनांक 1.7.2009 से वेतन

वार्षिक वेतन बृद्धि तथा पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन

पी०वी +जी०पी =कुल

17,590+3800 21,390

यद्यपि श्री कुलदीप कुमार तदर्थे आधार पर एक वेतन वृद्धि 14-1-09 से ले चुके थे तथा नियमिति के उपरान्त उनके विकल्प के सूटिंगत यह वेतन वृद्धि दिनांक 1-7-2009 से ही देय बनती है। अतः उन्हे दिनांक 14-1-2009 से 30-6-2009 के दौरान निम्नानुसार किए गए अधिक भुगतान ₹8023/- की वसूली की जाए।

दिनांक	देव वेतन	भुगतान किया गया वेतन	अधिक
	पीठी + जीठी + मंहगाई	पीठी + जीठी + मंहगाई भता	भुगतान/अन्तर
	भता 22%	22%	
14.1.09 से	16370+3600 +4378=24348	16370+3600 +4589=25339	
31.1.09(18 दिनों के लिए =14138)		(18 दिनों के लिए =14713)	575
1.2.09 से 30.	16.370+3600 +4378=24348	16.370+3600 +4689=25339 (991x5	
6.09 (5 मास)		मास)	4955
	कुल योग		5530
	नियोक्ता द्वासा उक्त पर दिया		
	सीठीपीएफ पर 10% अशदान		
			563
	कुल योग		₹8023

12 संशोधित वेतनमान के फलस्वरूप श्री चन्द्रेश्वर सैन निलामी कर्ता को देय वकाया भुगतान देता जी गई योग्यता में ₹3050/- का अधिक भुगतान :—

श्री चन्द्रेश्वर सैनी निलामी कर्ता को पौंछवे वेतन आयोग के फलस्वरूप संशोधित वेतनमान अवधि 1-1-06 से 31-6-09 का बकाया भुगतान ₹92,797-00 (जिसमें से ₹23914-00 की कटीशी सीठीपीएफ0 के रूप में की गई है) किया गया। उक्त बकाया भुगतान की गणना कि जीच करने पर पाया कि उक्त कर्मचारी को अवधि 1-1-09 से 31-1-09 तक अपने पूर्ण वेतन का अन्तर हैक्साइट संशोधित वेतनमान एवं पूर्ण वेतनमान के अन्तरांत मूल वेतन एवं अन्तरांत मूल वेतनमान को एक भाँड़ खान पर तीन माह से गुणा करने के संपर्कत

3958/- (1979%2) का अधिक भुगतान (जिसमें कि सीएपीएफ के गणना भी सम्मिलित थी) कर दिया गया। अंकेशण द्वारा आपति उठाने पर उपरोक्त उक्त अधिक भुगतान कि वसूली मण्डी सामेति द्वारा कर विल/वार्कचर सख्त्या 262 दिनाक 31-3-12 द्वारा कर ली गई। अतः परममश किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की अनियमिता कि पुनरावृति न की जाये।

13 मण्डी शुल्क की कम वसूली बारे—

अंकेशण अवधि 4/10 से 3/12 के चयनित मासों में विभिन्न लाईसेन्स धारकों द्वारा मण्डी सामेति में दर्ज करवाई गई मण्डी शुल्क हेतु रिटर्नों कि जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी शुल्क की राशि मण्डी समीति में कम जमा करवाई गई थी, जो कि (आर) फार्म भे दर्ज विभिन्न पदों कि उनके अन्तर्गत वर्चं से गलत गुणा/जमा के कारण तथा (आर) फार्म से मात्रा को मूल्य सहित (0) फार्म पर दर्ज करते समय पाई गई थी, जिसकी वसूली सम्बन्धित लाईसेन्स धारकों से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र०सं०	फर्म का नाम	दिनांक/अवधि	देव मण्डी	जमा मण्डी शुल्क कम जमा	
				शुल्क	मण्डी शुल्क
1	मै० शिवालिक	28.11.11	143	68	75
फ्रूट क०					
	सन्तोषगढ़				
		13.12.11	64	58	6
		28.1.11	68	60	6
2	मै० लक्ष्मी फ्रूट	26.6.11	38	34	2
	क० सन्तोषगढ़				
		26.6.11	31	30	1
3	मै० कौलल फ्रूट	9.2.12	33	30	3
	क० सन्तोषगढ़				
4	मै० दाका फ्रूट	1.2.12 से	915	813	102
	क० छना	10.2.12			

14 विश्राम गृह किसाएँ की नई दरों को लागू न करने के कारण ₹540-00 की कम वसूली—

सदस्य सचिव एवं प्रबन्ध निदेशक हिंदूप्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड शिमला के पत्र संख्या एच० एम०टी(आर) 195-2458 दिनांक 3-4-210 के अनुसार विश्राम गृह /किसान भवनों में विभिन्न दरों के लोगों के ठहरने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 4-11-2006 से नियोजित दरों का सशोधन उक्त पत्र द्वारा किया गया जिसे 1-4-2010 से लागू किया गया था परन्तु अक्षेपण अवधि के चयनित मासों में विश्राम गृह किसाया सेंजेस्टर की लॉच में पाया गया कि समिति द्वारा नई दरों अनुसार नियमावेदनणानुसार ठहराव करने वाले व्यक्तियों से सशोधित दरों की वसूली नहीं की गई अर्थात् इनसे कम वसूली के गई जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके लेखों में तुरन्त जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों में कम वसूली गई राशि की गणना संस्था स्तर पर करके अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र०स्ट०	ठहरने वाले वाही/आवेदित संख्या	वैड/कमरा वापर समवय	नियम लौंग ठहरने पर समवय	विन	वसूली राशि	वसूली राशि	कम राशि		
1	साहेबी हरी चन्द्र सोनोपत	1 (वैड)	1-4-10 6 PM	3-4-10 8 AM	2	30	60	40	20
2	पंकज कुमार छन्दोपुर	1 (वैड)	1-4-10 6 PM	2-4-10 8 AM	1	30	30	20	10
3	राजेश कुमार विनयपुरी	4 (कमरा)	1-4-10 6 PM	2-4-10 8 AM	1	200	200	100	100
4	कामलाल फिल्म पूर्ण	1 (वैड)	1-4-10 7 PM	2-4-10 6 AM	1	30	30	20	10
5	पवन कुमार मण्डी (कर्मचारी सेवारत)	4 (कमरा)	2-4-10 6 PM	3-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
6	टेक चन्द्र शुभी नदीण	1 (वैड)	2-4-10 8 PM	3-4-10 9 AM	1	30	30	20	10
7	पंकज कुमार नदीण	1 (वैड)	2-4-10	3-4-10	1	30	30	20	10

				8 PM	9 AM					
8	लक्ष्मण वाकुर चुवाडी	1 (देव)		3-4-10 9 PM	6-4-10 7 PM	30	30	90	60	30
9	राजेश शर्मा शिमला	2 (कमरा)		4-4-10 4 PM	6-4-10 9:30 AM	2	200	400	200	200
10	सुरेश कुमार हगीरपुर (सेवारत कर्मचारी)	4 (कमरा)		4-4-10 7 PM	5-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
11	सोनू देव	1 (देव)		4-4-10 8 PM	6-4-10 7 PM	2	30	60	40	20
12	श्री गती विमला चौहान शिमला	3 (कमरा)		5-4-10 8 PM	6-4-10 9 AM	1	50	50	40	10
13	श्री चतर सिंह एड कम्पनी	7 (देव)		5-4-10 8 PM	6-4-10 9 AM	1	30	210	140	70
14	मनमोहन लाल ऊना(सेवारत कर्मचारी)	4 (कमरा)		5-4-10 9 PM	6-4-10 9:30 AM	1	50	50	40	10
15	दिनेश गुप्ता चुवाडी	2 (देव)		5-4-10 9 PM	6-4-10 7AM	1	30	60	40	20

वोट 540

16 भू-राजस्व (एप्रिल 2008) की घोषित ₹16,70,646/- की वसूली न करने वाले:-

भू-राजस्व अधिकारी द्वारा घोषित मण्डी अधिनियम 1993 पट्ट 9 ऑफ 1970 की धात्र 38 (2) तथा छिप्पा दृष्टि से अधिकारीय उपज (विकास एवं विनियमन) विदेशक 2005 की धात्र 66 के अन्तर्गत कलैक्टर द्वारा परिसिएट (च) के अनुसान ₹16,70,646/- एरियर ऑफ लैण्ड ऐवन्यू के रूप में वसूली घोग्य ₹16,70,646/- घोषित की गई है परन्तु वसूली वारे नाममात्र ही कारबाह की गई है जिसे विपणन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के स्थान में आवश्यक कारबाह हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त जिला सम्पादक के पास मैसर्ज महेश उद्देश ओफिस के यथास्थान 18.2.2008 के ₹5,20,10,292.08/- का विपरीत दृष्टि से घोषित वसूली घोषित की गई है। अतः निर्णय अपने दूसरे प्रकार के रूप में घोषित करना चाहिए।

18 चिकित्सा प्रतिपूर्ति विलो में अधिक भुगतान बारे मे:-

वयनित मासों में कर्मचारियों को किए गए चिकित्सा प्रतिपूर्ति विलों के भुगतान की जांच करने पर पाया कि उन्हें निम्नानुसार दबावहींदा देय नहीं थी जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रमसंख्या	वार्षिक संख्या	मास	कर्मचारी का नाम	विवरण	भुगतान	देय	अधिक भुगतान का भुगता- न	टिप्पणी
1	111	10/2010	श्री कुलदीप सौरी	कोबाडेक्स (Cobadex)	112	-	112	-
2	131	11/2010	श्री गुरदयाल सिंह	Urine R/C/ Urine C/S	190	100	30	-
3	144	11/2010	श्री गुरदयाल सिंह	HB,FBSLFT, RPT Urine,HE,C,S (ii) Urine C.S	590	240	350	-
4	214	3/2011	श्री राजेनदगुप्त	C.T Scan (Normal)	1400	300	1100	-
5	211	3/2011	श्री कुलदीप कुमार चपड़ासी	C.T Scan	450	200	250	-
6	207	3/2011	श्री मति बीना कपूर	Durocare	154	-	154	डाक्टर द्वारा देयांदे नहीं

सिखी गई

- 17 दुकान के अनुबन्ध को दुकान मालिक से हस्ताक्षरित न करवाने वारे :—

समिति की दुकानों को किसाए पर देने हेतु किए गए अनुबन्धों की जांच करने पर पाया गया कि वूथ संख्या 4. श्री केसर सिंह, सुपत्र श्री मन्दिर सिंह गांव व डाकघर वहाला, तहसील ऊना को पत्र संख्या M030070 7-1/83-267 दिनांक 16-4-2010 द्वारा ₹1200-00 मासिक किसाए पर दी गई थी परन्तु उक्त व्यक्ति के साथ किसाए हेतु किए गए अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं थे जिसे अब करवाकर अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

- 18 मण्डी शुल्क की ₹52/-की कम वसूली करने वारे :—

श्री लक्ष्मी फ्लूट टेलिंग कम्पनी सन्तोषगढ़ के "आर" फार्म संख्या 044868, से 044872 के अनुसार अवधि 21.1.2012 से 31.1.2012 का कुल मण्डी शुल्क ₹372/- बनता था जबकि वसूली ₹320/- की गई थी। अतः उक्त फर्म से ₹56.00 कम वसूल किए गए थे जिसकी वसूली अब की जाए।

- 19 प्रत्येक व्यापारी/लाईसेंसी द्वारा वार्षिक लेखों प्रस्तुत न करने वारे :—

अंकेश्वर अवधि 4/10 से 3/12 के द्वारा जांच में पाया गया कि मण्डी समिति के अधिकार केंद्र में आने वाले व्यापारी/लाईसेंसी से हिंग० कृषि एवं औद्योगिक उपज विपणन विकास एवं विनियम विभायिक (साधारण) नियम 2006 की धारा 80 (1) तथा हिंग० कृषि एवं औद्योगिक उपज विपणन 2008 के नियम 37 (1) के अनुसार अपने वार्षिक लेखों सम्बन्धी लेन देन विवरण (Statement of Traction) प्रत्येक वर्ष की 30 जून से पहले फार्म "वी" पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। परन्तु उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की और न ही इस वारे मण्डी समिति ऊना वार्ष कोई भी कार्रवाई करने वाली व्यापकियत कर्ता/व्यापकियों को नोटिस जारी किए गए थे जो कि अनियमित है। अतः उक्त लेखों को ज प्राप्त करने वारे औरिजिनल अंकेश्वर को स्पष्ट किया जाए।

- 20 नियमानुसार अग्रिमेख का तैयार न करना :—

हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्योगिक उपज विपणन (साधारण) नियम 2008 के विभिन्न नियमों में दिए गए निम्नालिखित आग्रिमेखों को मण्डी समिति ऊना द्वारा तैयार नहीं किया / करवाया गया है तथा उत्तमान में भी तैयार नहीं करवाया जा रहा है जिसके बारे में नियमों के दृष्टिगत इस कियाग को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार नियमानुसार नियमानुसार नियमानुसार किया जाए।

क०स०	फामे संख्या	नियम	उद्देश्य
1	“एल”	30 (4)	विकेता द्वारा रखा जाने याला रजिस्टर
2	“पी”	30 (11)	निलामी रजिस्टर।
3	“एस”	31 (7)	प्राइवेट मण्डी प्रांगण में भरा जाने याला रजिस्टर
4	“डब्लयू”	37 (2)	समिति द्वारा अनुरक्षित कृषि उपज के क्य और विक्रय का रजिस्टर।

21 विभिन्न न्यायालयों में मण्डी समिति द्वारा दायर प्रकरण के बारे में:-

मण्डी समिति द्वारा जारी सूची जो कि परिशिष्ट (छ) में दर्शाई गई है के अनुसार अधिकार 3/2012 तक अनेक व्यापारियों के विरुद्ध लाइसेन्स प्राप्त करने व किसायों की वसूली से सम्बन्धित मामले में दायर हैं। अतः इन सभी मामलों में अदालती निर्णय प्राप्त होने पर तदानुसार अपेक्षित कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 लघु आपत्ति विवरणिका :-— इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

23 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

Sd/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन सहया: किन(एल.ए)सी(15)(14)83 / 84खण्ड-6, दिनांक 05.11.2012
शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाती है :-

- पंजीकृत :-** 1. प्रधानाचार्य, सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी कृषि उपज मण्डी समिति ऊना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आश्य के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर शीघ्र निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिं0प्र० शिमला-171009 को भेजें।
 2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) हिं0प्र० सरकार शिमला-171002.
 3. प्रबन्ध निदेशक हिं0प्र० कृषि राज्य कृषि विषयन नयन बोर्ड खालीनी शिमला-2
 4. श्री जितेन्द्र सिंह, अनुनाग अधिकारी द्वारा.....

Sd/-

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.